(b) what is the production of each company during the last three years, year-wise; and

(c) what is the cost of production of the vehicle, exclusive of taxes, company-wise and vehicle-wise.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) A statement is enclosed at Annexure. [*See* Appendix CLV Annexure No. 78]

(c) The cost of production in respect of various manufacturers will differ for various vehicles and models. The Net Dealer Price (ex-factory price before excise duty, other levies and dealer's commission available from Association of Indian Automobile Manufacturers is enclosed at Annexure (See Appendix CLV Annexure No. 79]

मध्य प्रदेश में छोटे मध्यम और बड़े पमाने के उद्योगों में रुग्ण एकक

2250. **श्री अजीत जोगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उन औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है, जो रुग्ण एककों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और जिसके परिणाम-स्वरूप कितने कर्मकारों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इन एककों को फिर से खड़ा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में जून, 1988 के अन्त तक लघु औद्योगिक तथा गैर लघु औद्योगिक श्रेणियों के अन्तर्गत रुग्ण लघु, मझौले व बड़े औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार बताई गई है :–

गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या	लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या
36	12,407
*	

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र आंकड़ों में प्रभावित कर्मचारियों की संख्या नहीं दी गयी है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार की पूरे देश के लिए एक समान नीति है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :–

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् 'रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई०एफ०आर०); नामक एक अर्ध न्यायिक निकाय का स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं से कारगर ढंग से निपटना है। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और औद्योगिक रुग्णता का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पकेज तैयार करने के भी बैंकों को निदेश दिए गये हैं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दशानिर्देश भी जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एव रियायतों को स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमान्त धनराशि योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- से बढ़ा कर 50,000/- रुपये कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना की भी घोषणा की गयी है। यह योजना किसी भी एकक पर लागू होगी जिसमें पिछले किसी भी पांच लेखा वर्षों में अधिकतम निवल मूल्य 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित हानियों द्वारा कम हुआ है। उक्त एकक का पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशांतरण सम्बन्धी पैकेज निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण पाने का हकदार होगा जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृत होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतानों का 50 प्रतिशत होगा। दिये गये ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(7) इस वर्ष अप्रैल में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गयी है जो अत्यन्त लघु और लघु उद्योगों के लिए एक एपेक्स बैंक के रूप में कार्य करेगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपये होगी, इसे आई०डी०बी०आई० द्वारा दिया जायेगा।

*1987 से आगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गयी रुग्णता की परिभाषा के अनुसार गैर लघु औद्योगिक एककों के अन्तर्गत मझोले रुग्ण उद्योग भी शामिल हैं।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत औषधि कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशि

2251. श्री बलराम सिंह यादव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 79 के अन्तर्गत सरकार को देय राशि अभी भी कई औषध निर्माताओं पर बकाया है;

(ख) यदि हां, दो वर्ष 1989-90 के अन्त में ऐसी कुल कितनी राशि बकाया थी और क्या सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्थाई रूप से निर्धारित राशियों और अब तक कंपनियों द्वारा जमा की गयी राशियों के ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[*See* Appendix CLV, Annexure No. 80]